



दिनांक 12.02.2024-

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम अवैध चरस 150 के सहित शातिर 01

अभियुक्त/नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक को मुखबिर की 12.02.2024 सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त/शातिर नशा तस्कर 01 सोनू उर्फ शकील पुत्र गफूर निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को ग्राम अवैध चरस सहित 150 टीला नूरबस्ती नुमाइस कैम्प से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु 24/20 0स0अ0 एनडीपीएस एक्ट बनाम सोनू उर्फ शकील के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक 20/8 धारा कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ और नशा करने का आदी हूँ। चरस बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे अपनी नशी की लत को पूरा कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

.1 सोनू उर्फ शकील पुत्र गफूर निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

विवरण बरामदगी -

ग्राम अवैध चरस बरामद 150

अभियुक्त सोनू उर्फ शकील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 68/18 धारा 304बी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 517/20 धारा 392/411/420 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 260/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
4. मु0अ0सं0 54/22 धारा 147/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
5. मु0अ0सं0 251/22 धारा 147/148/504/323/325/336 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
6. मु0अ0सं0 20/24 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
2. है0का0 1063 शानमौहम्मद थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।



दिनांक: 12-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बडगांव सहारनपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त 01 को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.02.2024 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा **01 वारंटी अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र रामभूल नि० ग्राम बडूली माजरा थाना बडगांव को सम्बन्धित वाद स० 593/19 धारा 60(2) आबकारी अधि० व 272,273 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सचिन पुत्र रामभूल नि० ग्रा० बडूली माजरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ० नि० शिवकुमार थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।
2. का० 612 दीपक थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.02.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 वांछित अभियुक्त **अजय कुमार उर्फ मोन्टी पुत्र सुशील निवासी फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को संबंधित मु0अ0सं0 430/2023 धारा 420,406,506,120बी भादवि व मु0अ0सं0 429/2023 धारा-420,406,506,120बी भादवि में पुलस्तिया होटल से पहले सरकारी नर्सरी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

अजय कुमार उर्फ मोन्टी पुत्र सुशील निवासी फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ मोन्टी का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 -430/2023 धारा 420,406,506,120बी भादवि थाना बेहट।
मु0अ0सं0 429/2023 धारा-420,406,506,120बी भादवि थाना बेहट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है0का0507 गौरव राणा थाना बेहट जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12 -02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय जनपद सहारनपुर द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 04 अभियुक्तों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2013 को वादी श्री कर्ण सिंह पुत्र कवल सिंह नि० सातौर थाना गंगोह, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-महताब पुत्र आबिद 2-युसुफ पुत्र मुख्तयार 3-रफुददीन उर्फ रफु 4-मुर्सलीन पुत्र आबिद नि०गण ग्राम सातौर थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र श्रवण पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाना व श्रवण के पेट में गोली लगने की सूचना पर मु०अ०सं० 09/2013 धारा 307/34 भादवि थाना गंगोह पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 367 व 526/2013 पर माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष/त्वरित न्यायालय द्वितीय जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष/त्वरित न्यायालय द्वितीय द्वारा आज दिनांक 16.01.2024 को अभियुक्तगण 1-महताब पुत्र आबिद, 2-युसुफ पुत्र मुख्तयार, 3-रफुददीन उर्फ रफु व 4-मुर्सलीन पुत्र आबिद को मु०अ०सं० 09/2013 धारा 307,34 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री मैनपाल सिंह
विवेचक उनि० कुसुमवीर सिंह थाना गंगोह
पैरोकार है०का० 720 पंकज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।**